

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा,  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:-र-9 ग (66) अप.शाखा/विधि/2013/ 65-4-89 दिनांक : 19.7.13

समस्त पुलिस उपायुक्त,  
जयपुर/जोधपुर।

समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान  
मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।

विषय :- न्यायालय में पुलिस अधिकारियों/कर्मियों के साक्ष्य हेतु उपस्थित होने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान का परिपत्र क्रमांक सीआईडी/सीबी/पीआरसी/परिपत्र/(35)/2012-13/257-325 दिनांक 08.01.2013 एवं इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3315-3370 दिनांक 29.04.2013 के क्रम में।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों को बार-बार तलब किए जाने तथा अनेक अवसरों पर अभियुक्त के न्यायिक अभिरक्षा में रहने पर भी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं होने को गम्भीरता से लेने पर महानिदेशक पुलिस, राजस्थान द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के न्यायालय में उपस्थित होने के संबंध में विस्तृत निर्देश प्रदान किये गये थे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण एस. बी. क्रिमिनल मिस. बेल एप्लीकेशन संख्या 7793/2012 द्वारा रामलाल बनाम राजस्थान राज्य में अपने निर्णय आदेश दिनांक 15.01.2013 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के लिए निर्देश दिये गये थे जिन्हें रजिस्ट्रार (प्रशासनिक), माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने उनके पत्रांक 222 दिनांक 07.02.2013 (प्रति संलग्न) द्वारा समस्त जिला एवं सेशन न्यायालयों को पालनार्थ प्रेषित किया गया था। इसको प्रति इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3315-3370 दिनांक 29.04.2013 द्वारा आपको प्रेषित की गई थी। इन निर्देशों में अधीनस्थ न्यायालयों को निम्नलिखित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था :-

- (i) माननीय विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य हेतु जाते किये जाने वाले समान/वारन्ट में प्रथम सूचना रिपोर्ट की संख्या एवं प्रकरण की घातों का अंकन किया जाए।
- (ii) अभियुक्त के अभिरक्षा में होने की स्थिति में समान/वारन्ट में लाल स्याही से अंकन किया जाए।

उपरोक्त समस्त निर्देशों के उपरांत भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के प्रकरण आए हैं

जिन्हें गम्भीरता से लेते हुए उच्च न्यायालय द्वारा महानिदेशक पुलिस, राजस्थान को प्रकरण एस. बी. क्रिमिनल मिस. तृतीय बेल एप्लीकेशन संख्या 1447/2013 द्वारा महावीर बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 23.07.2013 को व्यक्तिशः बुलारा है।

ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा निर्देशों की पालना का स्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि संदर्भित परिपत्र द्वारा जारी निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करें तथा विचारण न्यायालयों से सम्पर्क स्थापित कर माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना हेतु प्रयास करें।

इन निर्देशों की निरन्तर पालना हेतु संदर्भित परिपत्र के बिन्दु संख्या 4. (vii), (viii) एवं (ix) के अनुरूप कार्रवाई करें।



(कपिल गर्ग)

अति. महानिदेशक पुलिस,  
सी.आई.डी. (अपराध शाखा),  
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है-

1. महानिदेशकगण कारागार, होमगार्ड एवं ए.सी.बी. तथा समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान को प्रेषित कर निवेदन है कि वे अपने समस्त अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों/कर्मियों को पालनार्थ सूचित करने का कष्ट करें।
2. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर एवं समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज राजस्थान को पालना सुनिश्चित करने हेतु।
3. प्राचार्य, राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर।
4. समस्त कमाण्डेन्ट, पुलिस प्रशिक्षण विधालय/आर.ए.सी./एम.बी.सी. एवं मोटर ड्राइविंग स्कूल, बीकानेर।



अति. महानिदेशक पुलिस,  
सी.आई.डी. (अपराध शाखा),  
राजस्थान, जयपुर।